

**मांग संख्या 30**  
**मुख्य शीर्ष 2515**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन द्वारा 02 क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय गठन करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु निम्नानुसार पदों का निर्माण किया जाना है :-

स.क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	क्षेत्रीय विकास आयुक्त	02	18400-22400
2	उप आयुक्त	02	10000-15200
3	सहायक आयुक्त	02	8000-13500
4	वित्त अधिकारी	02	8000-13500
5	अधीनस्थ लेखा अधिकारी	02	5000-8000
6	सहायक ग्रेड-1/अधीक्षक	02	4500-7000
7	सहायक ग्रेड-2	04	4000-6000
8	सहायक ग्रेड-3	06	3050-4590
9	वाहन चालक	04	2610-3200
10	भृत्य	04	2550-3200
	<b>योग</b>	<b>30</b>	

इस पर आवती व्यय रूपये 145.00 लाख तथा अनावती व्यय रूपये 55.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

राज्य शासन द्वारा बिलासपुर में विधिक सेल के गठन का निर्णय लिया गया है । इस हेतु निम्नानुसार पदों का निर्माण किया जाना है :-

स.क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	सहायक संचालक	01	8000-13500
2	सहायक संचालक (विधिक सलाहकार)	01	8000-13500(सीविदा)
3	सहायक वर्ग-2	01	4000-6000
4	स्टेनोग्राफर(हिन्दी)	01	4500-7000
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	3500-5200
6	भृत्य	01	कलेक्टर दर
	<b>योग</b>	<b>06</b>	

उक्त पदों के वेतन भत्ते पर रूपये 6.40 लाख तथा कार्यालय उपकरण एवं फनीचर (01 फॅक्स मशीन, 01 फोटोकॉपी मशीन, 01 कम्प्यूटर तथा दूरभाष) हेतु रूपये 2.38 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु परीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 8,78,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मांग संख्या 80**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

03 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में तथा 02 पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 21.55 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 21,55,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 2**

राज्य में संचालित 112 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूल में तथा 56 हाई स्कूलों का हायर सेकेंड्री स्कूल में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 3,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 3**

राज्य के 29 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूल में तथा 21 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 240.56 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,40,56,000 का प्रावधान किया गया है।

**मुख्य शीर्ष 4515**

**मद क्रमांक 4**

छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जन्मस्थली तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु अधोसंरचना मद में रूपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है। इस राशि से गली क्रांकीटीकरण, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, निर्मलाघाट, उचित मूल्य दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत सह उचित मूल्य दुकान का निर्माण किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 5**

पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को रूपये 25.00 लाख के हिसाब से मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान देने हेतु रूपये 925.00 लाख का व्यय संभावित है। इस राशि से ग्राम पंचायतों में क्रांकीट मार्ग, शोड निर्माण तथा नाली निर्माण किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 9,25,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 6**

राज्य के ग्रामीण रोजगार योजना वाले जिलों में निम्नानुसार कार्य करवाये जाने हेतु राशि रूपये 4000.00 लाख का व्यय संभावित है :-

**1. अधोसंरचना कार्य**

1. गली क्रांकीटीकरण
2. निर्मलाघाट निर्माण
3. मुक्तिधाम
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र (बाउण्ड्रीबाल सहित)
5. पंचायत भवन सह उचित मूल्य की दुकान
6. आंगनवाड़ी भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
7. कांजी हाउस भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
8. उचित मूल्य की दुकान

**2. रोजगार मूलक कार्य**

1. निस्तारी नया तालाब निर्माण

2. निस्तारी तालाबों का गहरीकरण मरम्मत
3. रतनजोत पौधा रोपण
4. वृक्षारोपण/केशव कुंज
5. सड़क /पहुंच मार्ग
6. अनु.जाति/जनजाति को कृषि भूमि सुधार/सिंचाई सुविधा बावत  
अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 40,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 7**

राज्य के रोजगार गारंटी योजना वाले जिलों में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु रूपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 3,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 82  
मुख्य शीर्ष 4515

**मद क्रमांक 1**

छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जन्मस्थली तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु अधोसंरचना मद में रूपये 380.00 लाख का व्यय संभावित है। इस राशि से गली क्रांकीटीकरण, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, निर्मलाघाट, उचित मूल्य दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत सह उचित मूल्य दुकान का निर्माण किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 3,80,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 2**

पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को रूपये 25.00 लाख के हिसाब से मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान देने हेतु रूपये 703.00 लाख का व्यय संभावित है। इस राशि से ग्राम पंचायतों में क्रांकीट मार्ग, शोड निर्माण तथा नाली निर्माण किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 7,03,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 3**

राज्य के ग्रामीण रोजगार योजना वाले जिलों में निम्नानुसार कार्य करवाये जाने हेतु राशि रूपये 3000.00 लाख का व्यय संभावित है :-

**1. अधोसंरचना कार्य**

1. गली क्रांकीटीकरण
2. निर्मलाघाट निर्माण
3. मुक्तिधाम
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र (बाउण्ड्रीबाल सहित)
5. पंचायत भवन सह उचित मूल्य की दुकान
6. आंगनवाड़ी भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
7. कांजी हाउस भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
8. उचित मूल्य की दुकान

**2. रोजगार मूलक कार्य**

1. निस्तारी नया तालाब निर्माण
2. निस्तारी तालाबों का गहरीकरण मरम्मत
3. रतनजोत पौधा रोपण
4. वृक्षारोपण/केशव कुंज
5. सड़क /पहुंच मार्ग
6. अनु.जाति/जनजाति को कृषि भूमि सुधार/सिंचाई सुविधा बावत

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 30,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक 4**

राज्य के रोजगार गारंटी योजना वाले जिलों में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु रूपये 700.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 7,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 83  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

राज्य में संचालित 112 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूल में तथा 56 हाई स्कूलों का हायर सेकेंड्री स्कूल में उन्नयन हेतु शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते आदि हेतु रूपये 228.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,28,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 15  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

राज्य में संचालित 112 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूल में तथा 56 हाई स्कूलों का हायर सेकेंड्री स्कूल में उन्नयन हेतु शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते आदि हेतु रूपये 72.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 72,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 4515**

**मद क्रमांक 2**

छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जन्मस्थली तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु अधोसंरचना मद में रूपये 120.00 लाख का व्यय संभावित है । इस राशि से गली क्रांकीटीकरण, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, निर्मलाघाट, उचित मूल्य दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत सह उचित मूल्य दुकान का निर्माण किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 3**

पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को रूपये 25.00 लाख के हिसाब से मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान देने हेतु रूपये 222.00 लाख का व्यय संभावित है । इस राशि से ग्राम पंचायतों में क्रांकीट मार्ग, शोड निर्माण तथा नाली निर्माण किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,22,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 4**

राज्य के ग्रामीण रोजगार योजना वाले जिलों में निम्नानुसार कार्य करवाये जाने हेतु राशि रूपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है :-

**1. अधोसंरचना कार्य**

1. गली क्रांकीटीकरण
2. निर्मलाघाट निर्माण
3. मुक्तिथाम
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र (बाउण्ड्रीबाल सहित)
5. पंचायत भवन सह उचित मूल्य की दुकान
6. आंगनवाड़ी भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
7. कांजी हाउस भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
8. उचित मूल्य की दुकान

**2. रोजगार मूलक कार्य**

1. निस्तारी नया तालाब निर्माण
2. निस्तारी तालाबों का गहरीकरण मरम्मत
3. रतनजोत पौधा रोपण
4. वृक्षारोपण/केशव कुंज
5. सड़क /पहुंच मार्ग
6. अनु.जाति/जनजाति को कृषि भूमि सुधार/सिंचाई सुविधा बावत

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 5**

राज्य के रोजगार गारंटी योजना वाले जिलों में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।